विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 11 फरवरी, 2026

संख्याः एल.एल.आर.–डी.(6)–30/2025–लेज.——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 24) को दिनांक 09–02–2026 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2026 के अधिनियम संख्यांक 3 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/–
(डॉ0 विवेक ज्योति),
संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि)।

2026 का अधिनियम संख्यांक 3.

हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापन (संशोधन), अधिनियम, 2025

धाराओं का क्रम

धारा :

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 7 का संशोधन।
3. धारा 13 का संशोधन।

2026 का अधिनियम संख्यांक 3.

हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापन (संशोधन) अधिनियम, 2025

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 9 फरवरी, 2026 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापन अधिनियम, 1969 (1970 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियम हो :–

1. **संक्षिप्त नाम.––**इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना (संशोधन), अधिनियम, 2025 है।

2. **धारा 7 का संशोधन.––**हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापन अधिनियम, 1969 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 7 की उप–धारा (2) के परन्तुक (क) में, ''पचास'' शब्द के स्थान पर ''एक सौ चवालीस'' शब्द रखे जाएंगे।

3. **धारा 13 का संशोधन.––**मूल अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (1) में, ''प्रत्येक स्थापन का नियोजक'' शब्दों के पूर्व ''दस या अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

——————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 3 of 2026.

THE HIMACHAL PRADESH SHOPS AND COMMERCIAL ESTABLISHMENTS (AMENDMENT) ACT, 2025

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title.
2. Amendment of section 7.
3. Amendment of section 13.

Act No. 3 of 2026.

THE HIMACHAL PRADESH SHOPS AND COMMERCIAL ESTABLISHMENTS (AMENDMENT) ACT, 2025

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 9TH FEBRUARY, 2026)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1969 (Act No. 10 of 1970).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called as the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments (Amendment) Act, 2025.

2. Amendment of section 7.—In section 7 of the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1969 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in proviso (a) of sub-section (2), for the word "fifty", the words "one hundred forty four" shall be substituted.

3. Amendment of section 13.—In section 13 of the principal Act, in sub-section (1), after the words "every establishment", the words "employing ten or more employees" shall be inserted.